सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी –हरीसिह लम्बोरा (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या : 10/2014

दीपक पाण्डे पुत्र ओंमकारनाथ पाण्डे जाति ब्राहमण निवासी गोपीनाथ की पुलिया मुरैना (मध्यप्रदेश)

– – – वादी

बनाम

1–विमलादेवी पत्नी सरदारसिह जाति ब्राहमण निवासी शास्त्रीनगर घंटाघर रोड धौलपुर (दौराने दावा फौत) 2–अनुराधा पत्नी औंकारनाथ जाति ब्राहमण निवासी गोपीनाथ की पुलिया मुरैना (मध्यप्रदेश) 3–चन्द्रकान्ता पत्नी हरीसिह जाति ब्राहमण निवासी नारायण मार्केट, सदर बाजार,देहली 4–साधना पत्नी योगेन्द्रसिह जात ब्राहमण निवासी शास्त्रीनगर घंटाघर रोड धौलपुर
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

– – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

उपस्थिति – 1. श्री विनोद भार्गव एडवोकेट .....वादी

निर्णय

दिनांकः 03-10-2019

वादी ने यह वाद प्रथमतः स्वत्व घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया था परन्तु वाद में उन्होने स्वत्व घोषणा के बाबत् अनुतोष विड्रो कर लिया जिस कारण प्रस्तुत बाद केवल स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लंम्बित है। तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत किया है कि ग्राम तसीमो स्थित आराजी ख.न. 2753/2877 रकवा 15 वीघा के खातेदार कृषक वादी के नाना सरदारसिह थे। सरदारसिह ने जरिये पंजीवद्व वसीयतनामा दिनांक 27.123. 1997 वादी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सरदारसिह के दैहान्तोपरान्त वादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक हुआ तथा उसका नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 ने वसीयत के तथ्य को छुपाते हुये एक वाद उनवानी विमलादेवी बनाम दीपक पाण्डे नम्बरी

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

10/1998 प्रस्तुत किया जिसमे वादी की फर्जी तामील दिखाते हुये उक्त वाद दिनांक 11.12.2000 को एकपक्षीय रूप से डिक्री कर दिया गया। वादी को जब उक्त कार्यवाही की जानकारी मिली तो वादी ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 उनवानी दीपकपाण्डे बनाम विमलादेवी प्रसतुत किया। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2002 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2000 को पारित एकपक्षीय डिक्री निरस्त कर दी। प्रतिवादीगण ने पारित एकपक्षीय डिक्री के आधार पर राजस्व अभिलेखो में अपना नाम दर्ज करा लिया था तथा जिसका लाभ उठाकर वह विवादित आराजी पर वादी की खडी फसल को काटने व उसे हस्तांन्तरित करने पर आमादा है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ने न्यायालय उपस्थित होकर जबाबदावा व काऊन्टर क्लैम प्रस्तुत किया जिसमे उसने वादपत्र में अंकित तथ्यो को इन्कार किया तथा कथन किया कि सरदारसिह का निधन निर्वसीयत हुआ था। सरदारसिह ने कभी कोई वसीयत नही की। प्रतिवादी अनुराधा औंकारसिह की पत्नी नही है तथा नाही वादी औंकारनाथ का पुत्र है। सरदारसिह के निधन के बाद प्रतिवादी 1/–1/4 भाग के खातेदार कृषक है। विमलादेवी के दैहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रत्येंक 1/–1/3 भाग के खातेदार है तथा काबिज है। अतः दावा खारिज फरमाया जावें तथा कउन्टर क्लैम स्वीकार फरमाया जाकर उसे विवादित आराजी में 1/3 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावें। शेष प्रतिवादी उपस्थित नही हुये तथा नाही उनकी ओर से जबाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 4 भी दिनांक 23.02.17 को असालतन वकालतन उपस्थित नही हुये अतः उनके विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर उनका काउन्टर क्लैम अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया।

वादी ने दस्तावैजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत 2066–69 प्रस्तुत किये है तथा मौखिक साक्ष्य में पी डब्ल्यू–1 दीपक पाण्डे तथा पी.डब्ल्यू–2 औंकारनाथ के कथन कराये है। प्रति0 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा स्वत्व घोषणा का अनुतोष वापस लेने के बाद प्रस्तुत प्रकरण केवल स्थाई निषेधाज्ञा का ही रह जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा के बाद से केवल यह देखना होता है कि क्या वादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक है तथा काबिज हैं। प्रकरण में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई उसमें जमावन्दी प्रदर्श–1 संवत

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

2066–69 वाके ग्राम तसीमों के अनुसार वादी विवादित आराजी का खातेदार कृषक है। इसके खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई। प्रतिवादी संख्या 4 ने काउन्टर क्लैम तो प्रस्तुत किया था परन्तु वह भी खारिज हो गया। वादी की मौखिक साक्ष्य विवादित आराजी पर वादी के कब्जे की पुष्टि करती है। प्रति0 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई जो उनका कब्जा सावित कर सके। इस प्रकार वादी अपनी साक्ष्य से अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहा है तथा हमारे राय में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नंम्बर 2753/2877 रकवा 15 विश्वा पर वादी के कब्जा काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर हस्व जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिक्री व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास – हरीसिह लम्बोरा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या : 10/2014

दीपक पाण्डे पुत्र ओंमकारनाथ पाण्डे जाति ब्राहमण निवासी गोपीनाथ की पुलिया मुरैना (मध्यप्रदेश)

– – – वादी

बनाम

1–विमलादेवी पत्नी सरदारसिह जाति ब्राहमण निवासी शास्त्रीनगर घंटाघर रोड धौलपुर (दौराने दावा फौत) 2–अनुराधा पत्नी औंकारनाथ जाति ब्राहमण निवासी गोपीनाथ की पुलिया मुरैना (मध्यप्रदेश) 3–चन्द्रकान्ता पत्नी हरीसिह जाति ब्राहमण निवासी नारायण मार्केट, सदर बाजार,देहली 4–साधना पत्नी योगेन्द्रसिह जात ब्राहमण निवासी शास्त्रीनगर घंटाघर रोड धौलपुर
5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

– – – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हरीसिह लम्बोरा (आर. ए. एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विनोद भार्गव एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री ....पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नंम्बर 2753/2877 रकवा 15 वीघा वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ पर वादी के कब्जा काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.10.2019 को जारी की गई ।

(हरीसिह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ